

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), चूरु

क्रमांक :- प. 32(6)डी.नि./2023/707

दिनांक :- 12/04/2023

::-उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु विज्ञप्ति:-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में उचित मूल्य की रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिये इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इस हेतु खाद्य विभाग के पत्रांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.20216 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों के तहत सशुल्क (रूपये 100/-) भारतीय पोस्टल ऑर्डर के आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय चूरु से कार्यालय समय में विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से दिनांक 01.05.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2023 तक सांय 6.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, चूरु में जमा करवाये जा सकेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जिला चूरु में रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकान निम्नानुसार है :-

तहसील रतनगढ़

क्र.सं.	वितरण केन्द्र	ग्रामीण/शहरी	आरक्षण की श्रेणी
1	लधासर	ग्रामीण	अनारक्षित
2	मैणासर	ग्रामीण	अनारक्षित
3	गोगासर 1/2 भाग	ग्रामीण	अनारक्षित
4	जालेऊ	ग्रामीण	महिला आरक्षित
5	वार्ड नं0 15 राजलदेसर	शहरी	महिला आरक्षित
6	वार्ड नं0 2 रतनगढ़ शहर	शहरी	अनारक्षित
7	वार्ड नं0 8 रतनगढ़ शहर	शहरी	अनारक्षित
8	वार्ड नं0 26 रतनगढ़ शहर	शहरी	अनारक्षित

तहसील राजगढ़/सिद्धमुख

क्र.सं.	वितरण केन्द्र	ग्रामीण/शहरी	आरक्षण की श्रेणी
1	राधा बड़ी	ग्रामीण	अनारक्षित
2	सांखू 1/3 भाग	ग्रामीण	अनारक्षित
3	रामसरा ताल	ग्रामीण	अनारक्षित
4	भूवाड़ी 1/2	ग्रामीण	अनारक्षित
5	विजयपुरा	ग्रामीण	महिला आरक्षित
6	हांसिया वास	ग्रामीण	अनारक्षित
7	कांजण	ग्रामीण	अनारक्षित
8	सुलखणिया बड़ा	ग्रामीण	महिला आरक्षित
9	वार्ड न. 15 राजगढ़	शहरी	महिला आरक्षित
10	वार्ड न. 21 व 24 राजगढ़	शहरी	महिला आरक्षित
11	वार्ड न. 28 राजगढ़	शहरी	अनारक्षित

12	वार्ड न. 06 व 37 राजगढ़	शहरी	अनारक्षित
13	वार्ड न. 01 राजगढ़	शहरी	महिला आरक्षित
14	वार्ड न. 10 व 14 राजगढ़	शहरी	अनारक्षित
15	सिद्धमुख 1/2	शहरी	अनारक्षित
16	लम्बोर बड़ी 1/2	ग्रामीण	अनारक्षित

तहसील सरदारशहर

क्र.सं.	वितरण केन्द्र	ग्रामीण/शहरी	आरक्षण की श्रेणी
1	बादड़िया	ग्रामीण	अनारक्षित
2	साडासर 1/2 भाग	ग्रामीण	अनारक्षित
3	भादासर उत्तरादा	ग्रामीण	महिला आरक्षित
4	जैतसीसर	ग्रामीण	महिला आरक्षित
5	मीतासर 1/2 भाग	ग्रामीण	अनारक्षित
6	पातलीसर बड़ा	ग्रामीण	अनारक्षित
7	वार्ड न. 31 सरदारशहर	शहरी	अनारक्षित
8	मेहरी राजवियान 1/3 भाग	ग्रामीण	अनारक्षित

तहसील तारानगर

क्र.सं.	वितरण केन्द्र	ग्रामीण/शहरी	आरक्षण की श्रेणी
1	सारायण	ग्रामीण	महिला आरक्षित
2	रैयाटुंडा	ग्रामीण	अनारक्षित
3	ओजरिया	ग्रामीण	महिला आरक्षित
4	आन्नदसिंहपुरा	ग्रामीण	अनारक्षित
5	लुडणिया छोटा	ग्रामीण	अनारक्षित
6	किलिपुरा	ग्रामीण	अनारक्षित
7	कोहिणा	ग्रामीण	अनारक्षित

तहसील सुजानगढ़

क्र.सं.	वितरण केन्द्र	ग्रामीण/शहरी	आरक्षण की श्रेणी
1	खालिया	ग्रामीण	महिला आरक्षित
2	मगरासर 1/2 भाग	ग्रामीण	अनारक्षित
3	श्यानण	ग्रामीण	अनारक्षित
4	बाड़ा	ग्रामीण	अनारक्षित
5	बडावर 1/2 भाग	ग्रामीण	महिला आरक्षित
6	भोजलाई	ग्रामीण	अनारक्षित
7	खदाया	ग्रामीण	अनारक्षित

8	बामंणिया	ग्रामीण	महिला आरक्षित
9	जैतासर 1/2 भाग	ग्रामीण	अनारक्षित
10	जोगलिया 1/2	ग्रामीण	महिला आरक्षित
11	नोरंगसर	ग्रामीण	अनारक्षित
12	तेलाप	ग्रामीण	महिला आरक्षित
13	बोबासर बिदावतान	ग्रामीण	महिला आरक्षित
14	घोटड़ा	ग्रामीण	अनारक्षित
15	लिखमणसर	ग्रामीण	अनारक्षित
16	बाघसरा पूर्वी	ग्रामीण	अनारक्षित
17	हरासर 1/2 भाग	ग्रामीण	अनारक्षित
18	वार्ड न. 16 सुजानगढ़	शहरी	अनारक्षित
19	वार्ड न. 37 सुजानगढ़	शहरी	अनारक्षित
20	वार्ड न. 05 सुजानगढ़	शहरी	अनारक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17(1)खा.वि. /विधि/08 दिनांक 17.03.2016 तथा समय-समय पर जारी संशोधन आदेश दिनांक 06.04.2016, 24.04.2016, 04.07.2017, 26.09.2017, 14.11.2019, 26.12.2019 तथा 25.11.2020 के द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जायेगी। पत्र दिनांक 17.03.2016 तथा समय-समय पर जारी संशोधन आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर तथा कार्यालय जिला रसद अधिकारी, चूरु में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

कतिपय वितरण केन्द्रों को प्राधिकार पत्र निरस्त होने से इस विज्ञप्ति में शामिल किया गया है। नवनियुक्त आवेदक को आवंटन से पूर्व उच्च स्तर से निरस्त उचित मूल्य दुकानदार के बहाल होने की स्थिति में वेकेंसी स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी तथा प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। नवनियुक्त आवेदक को दुकान आवंटन के पश्चात् यदि उच्च स्तर से पूर्व उचित मूल्य दुकानदार के बहाली आदेश प्राप्त होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दोनों के मध्य वार्ड विभाजन कर प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। रिक्तियों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर (रसद),
चूरु

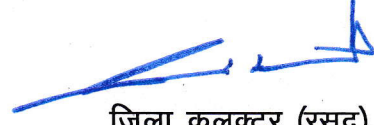
क्रमांक :- प. 32(6)डी.नि./2023/ 708-723

दिनांक :- 12/04/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज0 जयपुर।

6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, चूरु।
7. प्रोग्रामर डीओआईटी, जिला कलेक्ट्रेट, चूरु को कलेक्ट्रेट की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. प्रोग्रामर डीओआईटी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला चूरु को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. समस्त विकास अधिकारी जिला चूरु को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. समस्त प्रवर्तन स्टाफ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, चूरु।
12. रक्षित पत्रावली।



जिला कलेक्टर (रसद),
चूरु